न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 13 / 07 **निर्णय दिनांकः– 27–11–2011**
(आरसीएमएस संख्या 2007 / 00003)

1. मोतीलाल पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तेजरासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. मृतक बालूराम पुत्र दानाराम जाति सुथार वैधानिक प्रतिनिधि
1/1. रेडाराम
1/2. प्रहलादराम
1/3. मोहनलाल
1/4. रामलाल
1/5. मेघाराम
(1/1 से 1/5) पुत्रगण स्व. बालूराम
1/6. श्रीमती हस्तू बेवा बालूराम
1/7. धन्नी पुत्री स्व. बालूराम
2. कुम्भाराम पुत्र स्व. दानाराम (मृतक)
2/1. इमरती पुत्री स्व. कुम्भाराम
2/2. तीजा पुत्री स्व. कुम्भाराम
2/3. श्रीराम पुत्र स्व. कुम्भाराम
2/3/1. सोना पत्नी स्व. श्रीराम
2/3/2. सन्तु पुत्री स्व. श्रीराम
2/3/3. माना पुत्री स्व. श्रीराम
2/4. रामदयाल पुत्र स्व. कुम्भाराम (मृतक)
2/4/1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. रामदयाल
2/4/2. राकेश पुत्र स्व. रामदयाल
2/4/3. निर्मला पुत्री स्व. रामदयाल
2/4/4. सुमित्रा पुत्री स्व. रामदयाल
2/4/5. परमेश्वरी पत्नी स्व. रामदयाल
3. रामेश्वर
4. मूलाराम
5. राधा
6. पाना
(3 से 6) पिसरान टोडाराम

(1/6 से 6) जाति सुथार निवासी ग्राम तेजरासर तह. व जिला बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. मृतक श्रीगोपाल पुत्र कालूराम जरिये कायम कुमामान्
7/1. देवकी बेवा स्व. श्रीगोपाल
7/2. प्रहलाद
7/3. गोविन्द
7/4. सांवरलाल
7/5. नारायणराम
7/6. मनोहर
7/7. सम्पतलाल
(7/2 से 7/7) पुत्रगण स्व. श्रीगोपाल पुत्र कालूराम

8. मदनलाल पुत्र कालूराम (मृतक)
8/1. पुष्पादेवी पत्नी स्व. मदनलाल
8/2. करणीदान
8/3. इन्द्रा
8/4. कृष्णा
8/5. कान्ता
8/6. सुशीला
(8/2 से 8/6) पुत्र/पुत्रियॉ स्व. मदनलाल

9. गौरीशंकर पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण निवासी तेजरासर तहसील व जिला बीकानेर।

10. गणेश पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण (मृतक)
10/1. नीनादेवी पत्नी गणेशमल
10/2. विशाल पुत्र गणेशमल
10/3. विकास पुत्र गणेशमल
10/4. विक्रम पुत्र गणेशमल
(10/1 से 10/4) जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तेजरासर तहसील व जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 31–10–2006
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बालकिशन शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7/1, 7/3, 7/6, 7/7
3. श्री देवकिशन सेवदा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 8/1 से 8/6
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 31–10–2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र गैर कानूनी तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम तेजसासर के खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि जोकि अपीलांट के कब्जे काश्त में है, के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–07–1994 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रार्थी/अपीलांट के विवादित आराजी के कब्जे में अप्रार्थीगण मदाखलत बेजा नहीं करें व न ही रिकार्ड में कोई परिवर्तन करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि समय–समय पर अदालत मातहत द्वारा बढ़ाई जाती रही। तत्पश्चात् अदालत मातहत के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाई जारी रही है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंधन करते हुए प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर जानबूझकर कानून को अपने हाथ में लेते हुए प्रार्थी की काश्त को ट्रेक्टर से उलट दी तथा मौके पर दुबारा बुआई कर दी तथा मौके पर अपीलांट के स्थापित पानी के कुण्ड को तोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि पर तहसीलदार, बीकानेर को रिसिवर नियुक्त किया जाकर विवादित भूमि कुर्क कर रिसिवरी के कब्जे में दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्थ अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे पक्षकारों के मध्य अनावश्यक तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि रिसिवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान करते ताकि मौके पर अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न नहीं होवें। वैसे भी वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वादपत्र में तय होने है। ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त भी कर दिया जाता है तो किसी पक्षकारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। उक्त तमाम स्थिति अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होते हुए भी वादग्रस्त भूमि इनमिडियों आ चुकी है, उक्त तथ्य पर कतई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश की रेस्पोडेन्ट्स को भली भांति जानकारी होने के बावजूद भी बार बार रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादगत भूमि का कब्जा छोड़ देने अथवा जबरन कब्जा कर लेने की धमकी दिये जाने के पश्चात अपीलांट ने अनावश्यक विवाद को ना बढ़ाने व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश द्वारा जारी स्थगन आदेश की पालना ना होने की सूरत में रिसीवरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर फौजदारी कार्यवाही भी जैरकार चल रही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि की सुरक्षा के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा की जानी चाहिए थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड, मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अपीलांट का रिसिवर प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर दावे के निर्णय तक आराज़ी जैर पर रिसिवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम तेजरासर के खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 45 बीघा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

16 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सवंत् 2010, 2012, 2020 व 2021 से 2014 व उसके पश्चात् से ही अप्रार्थीगण के नाम से बतौर खातेदारी चली आ रही है तथा वादगत् भूमि की सिंचाई की रसीदे भी रेस्पोडेन्ट के नाम से है व सिंचाई का आबयाना भी रेस्पोडेन्ट द्वारा समय समय पर अदा किया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा काफी मेहनत व रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। तमाम दस्तावेज रेस्पोडेन्ट के कब्जे को दर्शाती है।

उन्होंने आगे बताया कि पहले से काबिज काश्त में बैठे व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में मौके से बेदखल नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण का कब्जा पहले से ही चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में पुनः वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए व रेस्पोडेन्ट की भूमि को येन–केन–प्रकारेण कुर्क कराने के उद्वेश्य मात्र से रिसिवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी भी अदालत मातहत के आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है।

न्याय का यह सिद्वान्त है कि रिसिवर की कार्यवाही तभी की जा सकती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रहा हो या भूमि को कृषि से अकृषि कार्य में बदल रहा हो, खुद–बुर्द कर रहा हो। जबकि प्रकरण में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त भूमि पर पहले से काबिज है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट्स का नाम दर्ज चला आ रहा है। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि इनमिडियों नहीं मानी जा सकती है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर ही अपीलांट का रिसिवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि बाबत् दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–07–1994 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रार्थी/अपीलांट के विवादित आराजी के कब्जे में अप्रार्थीगण मदाखलत बेजा नहीं करें व न ही रिकार्ड में कोई परिवर्तन करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि समय–समय पर बढ़ाई जाती रही। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाई जारी रही है।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर अस्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंधन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर तुरन्त प्रभाव से रिसिवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वाद दायर होने की दिनांक को भी वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के उल्लंधन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है परन्तु जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के उल्लंधन का प्रश्न है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे साबित होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा अदालत मातहत द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का किसी प्रकार से उल्लंधन किया गया हो। अपीलांट द्वारा अपने रिसिवर नियक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मौका रिपोर्ट या मौके पर अस्थाई निषेधाज्ञा के उल्लंधन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र प्रार्थी के कथन पर विश्वास करते हुए रिसिवरी के आदेश प्रदान किये जाने न्यायोचित नहीं माने जा सकते। **रिसिवर एक harse remedy है** जिसे बिना युक्तियुक्त कारणों से स्वीकार किया जाकर किसी एक पक्षकार के विधिक हितों पर कुठाराधात नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रिसिवर प्रार्थना को निरस्त करने का आधार राजस्व रिकार्ड संवत् 2012 से 2052 जिसमें अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है तथा विवादित भूमि पर काबिज काश्त मानते हुए रिकार्डेड खातेदार मानते हुए वादग्रस्त भूमि का इनमिडियों नहीं माना है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसरण में अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर रिसिवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। लिहाजा अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–10–2006 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.01 12:10:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: